न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–40/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00265)

1. चौथमल पुत्र अमराराम जाति माली, निवासी पौख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

02. गीता देवी पत्नी गोकल,
03. समेर राम पुत्र गोकल,
04. अशोक पुत्र गोकल,
05. मनोहरी पुत्री गोकल,
06. विमला पुत्री गोकल,
07. सुमित्रा पुत्री गोकल,
08. सीता पुत्री गोकल,
09. शंकर पुत्र कालू,
10. नागरमल पुत्र कालू,
11. प्रभातीलाल पुत्र कालू,
12. श्यामलाल पुत्र कालू,
13. मनोहर लाल पुत्र कालू, समस्त जाति माली, निवासी पौंख, तहसील उदयपुरवाअी, जिला झुन्झुनू।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 02.04.219

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 26.12.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1729, 1732 एवं अन्य भूमियॉ किता 17 रकबा 5.99 के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 13 रिकार्डेड खातेदार है उक्त भूमि में अपीलान्ट का 1/4 भाग रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 का 1/4 भाग व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 लगायत 13 का 1/2 भाग है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के व पटवारी के प्रस्ताव के अनुसार जो 22.12.2016 को प्रस्ताव बनाकर भेजा पर बिना नोटिस दिये न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित दिनांक 26.12.2016 को विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

न मजमेआम का कोई सार्वजनिक नोटिस ही दिया गया एवं गिरदावर हल्का ने भी कोई जांच मौके पर नही की एवं न तहसीलदार द्वारा सत्यता की जांच की गई और प्रोफामों में केवल फिल इन द ब्लैंक भरते हुये भेज दिया व उपखण्ड अधिकारी ने कोई नोटिस न देकर एवं कोई जांच न कर दिनांक 26.12.2016 को अपीलाधीन आदेश प्रसारित कर दिया, जो सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 132 एवं राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में दी गई व्यवस्था की पालना नही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2016 पारित किया है। उन्होने कथन किया है कि परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अभिनिय में परिवर्तन न हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नही किया जा सका जिस पहलू पर भी कोई विचार न कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने में गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मौके पर अपीलान्ट की भूमि मे फसल जो, गेहूँ आदि खडे थे तथा दिनांक 13.01.2018 को अपीलान्ट के खेत पर पटवारी हल्का आये और कहा कि आपने रास्ते की जमीन पर फसल क्यों कर रखी है आपके विरूद्ध सरपंच ने जुबानी शिकायत की है व मौका देखने आया हूँ इस पर अपीलान्ट ने कहा कि हमारी भूमि पर कोई रास्ता कभी नही रहा, न है, हमेशा काश्त होती रही है, इस पर पटवारी हल्का ने बताया कि रिकार्ड मे रास्ता है व रास्ते की दुरूस्ती हो चुकी है तब काफी आश्चर्य हुआ तब अपीलान्ट ने पूछा कि रास्ता कब बनाया है जो पटवारी हल्का ने कहा कि इसके लिऐ उपखण्ड अधिकारी आदेश कर चुके है, तब अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15.01.2018 को गये एवं अभिभाषक से सलाह की तो उन्होने पत्रावली की जांच की तो जानकारी में आया कि उपखण्ड अधिकारी ने रास्ता का अंकन करने की आज्ञा दिनांक 26.12.2016 पारित की है, अपीलान्ट को दिनांक 15.01.2018 को ही नकल का आवेदन पत्र दिया इस पर नकल दिनांक 15.01.2018 को ही प्राप्त हुई व सम्पूर्ण जानकारी हुई। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट ने इस पर अपने परिचित श्री जुगल किशोर सैनी एडवोकेट से सम्पर्क किया तो उन्होने निर्णय को देखकर कहा कि जयपुर इसकी अपील होगी दिनांक 02.02.2018 को जयपुर आया व अपील आदि तैयार करवाकर अपील जानकारी से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है, तथा अपील प्रस्तुत करने में लगा समय न्यायहित में क्षमा हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सह खातेदार है एवं बिना बटी में कोई रास्ता नही है, रास्ता सरासर गलत बताया हुआ है, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण जांच आवश्यकीय थी

26.12.2016 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1729 एवं 1732 ग्राम पौंख अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 13 के नाम दर्ज रिकार्ड है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त प्रस्ताव पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2016 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।